भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 043414

10 DEC 2013

- 1 -

विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि -- रू0 6,00,000 /--

बाजारू मूल्य -- रू0 1,72,575 /--

अदा किये गये जनरल स्टैम्प -- रू0 30,000 /--

1. भूमि का प्रकार -- कृषि
2. परगना -- मोहनलालगंज
3. ग्राम -- बेली

क्रमांक 1282 दिनांक 12-12-13

कीमत .... प्रयोजन ....

नाम ....

पता ....

प्रभा शंकर शुक्ला ला० नं० 127

वैधता 31-3-2016 तक कलेक्ट्रेट लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 043413

कोषागार लखनऊ
लखनऊ कोषागार से जारी
10 DEC 2013
को./उ./कोषाधिकारी
कोषागार लखनऊ

4. सम्पत्ति का विवरण– भूमि खसरा संख्या 229 रकबा 0.177 हेक्टेअर का 1/2 भाग यानी विक्रीत रकबा 0.0885 हेक्टेअर स्थित ग्राम–बेली, परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ।

5. मापन की ईकाई – हेक्टेअर

6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल – 0.0885 हेक्टेअर

7. सड़क की स्थिति – मोहनलालगंज से गोसांईगंज रोड से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित।

8. सम्पत्ति का प्रकार – कृषि

9. पेड़ों की स्थिति – नहीं

10. बोरिंग/ कुआं अन्य – कुछ भी नहीं है।

नि० अं०

देवना

1289 12-12-13

सं० 127

लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 043412

लखनऊ कोषागार से जारी

10 DEC 2013

को. अ / कोषाधिकारी लखनऊ

प्रथम पक्ष की संख्या– 1 : द्वितीय पक्ष की संख्या– 1

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
छेदाना पत्नी जोधाराम निवासी –नूरनगर भदरसा जिला लखनऊ।	:	पर्ल इन्फ्राइस्टेट प्रा0 लि0 रजि0 आफिस–37, एलगिन रोड, सिविल लाईन्स, इलाहाबाद द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी संजय सिंह पुत्र स्व0 इन्द्रदेव सिंह निवासी– प्रथम तल, साइबर टॉवर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
व्यवसाय– कृषि		व्यवसाय– व्यापार

यह विक्रय विलेख **छेदाना पत्नी जोधाराम निवासी –नूरनगर भदरसा जिला लखनऊ** जिन्हें आगे **विक्रेता** कहा गया है एवम् **पर्ल**

क्रमांक 1282 दिनांक 12-12-23

[illegible] आयोजन

[illegible]

[illegible] 127

[illegible] 21-3-2010 तक [illegible] लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 128031

इन्फाइस्टेट प्रा0 लि0 रजि0 आफिस–37, एलगिन रोड, सिविल लाईन्स, इलाहाबाद द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी संजय सिंह पुत्र स्व0 इन्द्रदेव सिंह निवासी–प्रथम तल, साइबर टॉवर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊजिन्हें आगे **क्रेता** कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया। विक्रेता एवं क्रेता शब्द के अन्तर्गत उनके विधिक उत्तराधिकारी, वारिसान व निष्पादकगण सम्मिलित है।

यह कि भूमि खसरा संख्या 229 रकबा 0.177 हेक्टेअर का 1/2 भाग यानी विक्रीत रकबा 0.0885 हेक्टेअर स्थित ग्राम–बेली, परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ का मालिक, कामिल व काबिज है तथा सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 00198 के अनुसार भूमि विक्रेता के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है।

16925

क्रम संख्या .... दिनांक 11-12-13

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ....

स्टाम्प क्रेता का नाम व पता ....

स्टाम्प की धनराशि ....

[illegible] हस्ताक्षर

[illegible]

लाईसेन्स [illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 128029

विक्रेता को पैसों की सख्त आवश्यकता है इसलिए विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है। विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है और उक्त भूमि सरप्लस भूमि का हिस्सा नहीं है। उक्त भूमि सीलिंग, भूदान की भूमि नहीं है। यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेता व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होगें। उपरोक्त भूमि या उसका को भाग किसी न्यायालय

क्रम संख्या 1693 दिनांक 11-12-2

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

स्टाम्प क्रेता का नाम व पता

स्टाम्प के हस्ताक्षर

लाइसेन्स [illegible]

लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 128030

या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विकेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विकेता को उक्त विकय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विकय मूल्य **रू0 6,00,000/– (रूपया छः लाख मात्र)** के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त केता द्वारा विकेता की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया हे एवं जिसकी प्राप्ति को विकेता यहॉ स्वीकार करते हैं, तदानुसार उक्त विकेता उक्त केता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विकय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विकेता ने विकयशुदा भूमि का मौके

क्रम संख्या 16[illegible] दिनांक ....
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ....
स्टाम्प क्रेता का नाम व पता ....
....
स्टाम्प की धनराशि ....

लाईसेन्स संख्या [illegible]

पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरियें अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि विक्रेताा यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया

विक्रय पत्र

600,000.00 /	172,575.00	10,000.00	20	10,020.00	1,000
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्रीमती छेदाना नि० 350
पत्नी श्री जोधाराम
व्यवसाय गृहिणी
निवासी स्थायी नूरनगर भदरसा लखनऊ
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 13/12/2013 समय 4:33PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।
नि० 350

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
एस.श्रीवास्तव (प्रभारी)
उ.नि.मोहनलालगंज
लखनऊ
13/12/2013

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्रीमती छेदाना नि० 350
पत्नी श्री जोधाराम
पेशा गृहिणी
निवासी नूरनगर भदरसा लखनऊ

क्रेता

पर्ल इन्फ्रा.प्रा.लि.द्वारा अधि.ह.संजय सिंह
पुत्र श्री स्व.इन्द्रदेव सिंह
पेशा व्यापार
निवासी विभूति खण्ड गोमतीनगर लखनऊ

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री कमलेश सिंह
पुत्र श्री रमा शंकर सिंह
पेशा कृषि
निवासी चाँद सरांय गाँधीनगर गोसाईगंज लखनऊ
व श्री गोमती प्रसाद
पुत्र श्री श्रीकिशन
पेशा कृषि
निवासी बेलीकला मोहन लालगंज लखनऊ
ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये है।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
एस.श्रीवास्तव (प्रभारी)
उ.नि.मोहनलालगंज
लखनऊ
13/12/2013

किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम बेली विशिष्ठ ग्राम अर्न्तगत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट **रू0 19,50,000/– प्रति** हेक्टेअर के हिसाब से विक्रीत भूमि **0.0885 हे0** की मालियत **रू0 1,72,575/–** होती है। चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 **30,000/–**के जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। भूमि में कोई इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही है व कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं हे विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है।

विक्रेता अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्य नही है। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेता ने स्वस्थचित मन से बिना किसी जोर दबाव के क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

चौहद्दी खसरा नं0 229

उत्तर : खसरा सं–231
दक्षिण : खसरा सं–237 व ग्राम सीमा हबुआपुर
पूरब : ग्राम सीमा हबुआपुर
पश्चिम : खसरा सं–228

विक्रेता

Registration No.: 16186 Year : 2,013 Book No. : 1

0101 **छेदाना**

जोधाराम

नूरनगर भदरसा लखनऊ

गृहिणी

परिशिष्टः भुगतान विवरण

1. विकेता को **रू0 6,00,000/–** द्वारा आर0टी0जी0एस0 दिनांक 13.12.2013 उसके एकाउंट नं 003010110001703, ग्रामीण बैंक आफ आर्यावर्त मे केता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार विकेता को कुल विकय मूल्य **रू0 6,00,000/– (रूपया छः लाख मात्र)** केता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विकेता स्वीकार करता है तथा अब विक्रेता को क्रेता से कुछ भी लेना शेष नहीं है।

लखनऊः
दिनांक :13.12.2013

गवाह :

1. कमलेश सिंह
S/o उमा शंकर सिंह
गांधी नगर, चायखराय
गोसाईगंज, लखनऊ

विकेता

2. गोमती प्रसाद S/o श्रीकिशन
बेलीकलां, गोसाईगंज
लखनऊ

केता

टाईपकर्ता
Deepak
(दीपक उपाध्याय)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता
(विवेक कुमार सिंह)
एडवोकेट

क्रेता

Registration No. : 16186 Year : 2,013 Book No. : 1

0201 पर्ल इन्फ्रा.प्रा.लि.द्वारा अधि.ह.संजय सिंह

स्व.इन्द्रदेव सिंह

विभूति खण्ड गोमतीनगर लखनऊ

व्यापार

ग्राम

खसरा नं० २२३ विक्रीत -रकबा - .०४८२ हे०

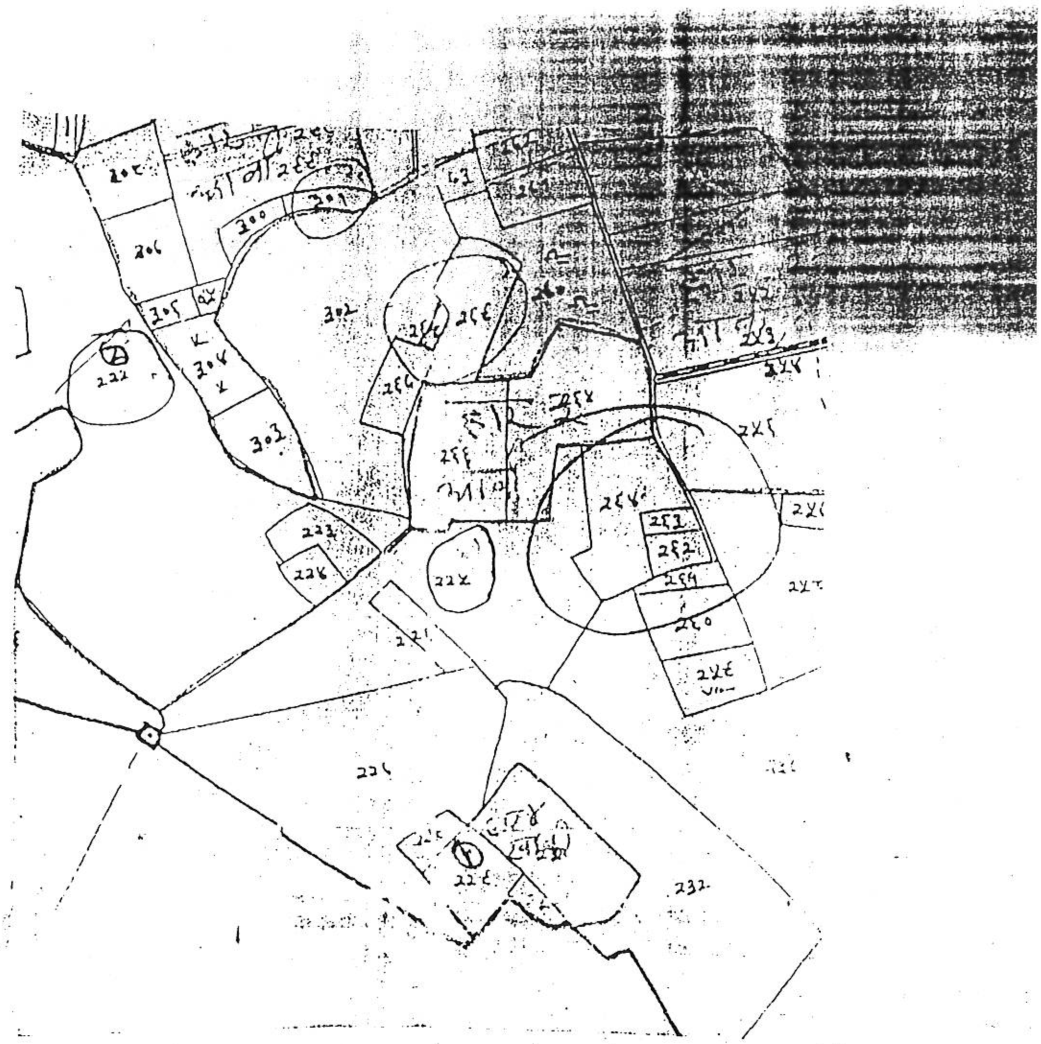

रु० ४००

धापाना

[illegible]
[illegible] 14/12/13-14
[illegible] 31-7-14
[illegible] 3-3-14

आज दिनांक **13/12/2013** को

वही सं. **1** जिल्द सं. **4254**

पृष्ठ सं. **35** से **54** पर कमांक **16186**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस.श्रीवास्तव (प्रभारी)

उ.नि.मोहनलालगंज

लखनऊ

13/12/2013